

न्यायालय सहायक कलेक्टर (S.D.O.), गुड़ामालानी
पीठासीन अधिकारी-श्री प्रमोद कुमार R.A.S.

प्रकरण संख्या :-68/2022

वादीगण

1. हरचंदराम पुत्र मूलाराम
2. अनाराम पुत्र मूलाराम
जाति जाट निवासी बातों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मूलाराम पुत्र केसराराम
2. अचलाराम पुत्र केसराराम
3. आदूराम पुत्र केसराराम
4. भीमाराम पुत्र केसराराम
5. हीरालाल पुत्र केसराराम
6. पूनमाराम पुत्र केसराराम
7. केसराराम पुत्र भूराराम
जाति जाट निवासी बातों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
8. तहसीलदार गुड़ामालानी

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 6 व 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम वास्ते पाने घोषणा

--: निर्णय ::--

दिनांक :- 16.09.2022

वादीगण ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा हिन्दु विधि से शासित होते हैं। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के जायन्दा पुत्र हैं।

वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक व संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र सिंधासवा हरनियान के राजस्व ग्राम बातों की ढाणी में खेत खसरा नम्बर 413, 415, 416, 575, 576 रकबा क्रमशः 0.1862, 2.1691, 2.5657, 18.4536, 10.0443 हैक्टेयर एवं ग्राम सालू की ढाणी में खेत खसरा नम्बर 458 रकबा 3.8121 हैक्टेयर की आई हुई है। उक्त विवादित आराजी वक्त सेटलमेन्ट वादीगण के दादा, प्रतिवादी संख्या 1 मूलाराम के पिता केसराराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई, तत्पश्चात् केसराराम के फौत होने से मूलाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई है। इस आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 संयुक्त रूप से दावा पेश करते हैं, वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के जायन्दा पुत्र हैं, इसलिये वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर हिस्से का अधिकार पैदा हो चुका है तथा धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार इस आराजी में

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 सहयोगिकी है तथा रागरत सहयोगिकी का बराबर हिरसा है, इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का 1/21-1/21 खातेदारी का है, जिसको घोषित करवाने के वादीगण अधिकारी हैं। उक्त वादग्रस्त खेतों में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिरसानुसार कब्जे काश्त में है फिर भी प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण को काश्त करते समय रोकटोक करता है, तथा वादीगण के हिस्से की भूमि को बेचान कर वादीगण को उनके पैतृक हकों से बेदखल करने पर आमदा है। जिससे वादीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि की हिस्सेदारी घोषित करवाने हेतु वादपत्र पेश किया गया।


वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए तथा वादीगण के वाद पत्र के सम्बन्ध में इकवाली जबाव पेश कर उक्त आराजी पैतृक होने का कथन किया तथा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहक बराबर हिस्सेदार घोषित किये जाने की सहमति दी। वादीगण की मौखिक साक्ष्य में वादीगण की ओर से वादी संख्या 1 हरचंदराम स्वयं को न्यायालय में उपस्थित कर बयान कलमबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त आराजी की वर्तमान जमाबन्दी नकलें एवं पैतृक होने सम्बन्धित नामान्तरकण की नकलें प्रदर्शित करवाई गई।

हमने वादीगण के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। चूंकि उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक भूमि है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में प्रथम श्रेणी के वारिसान को अपने हिस्से की कृषि भूमि के अधिकारों की घोषणा करवाने का विधिक अधिकार प्राप्त है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान एवं राजस्व मण्डल द्वारा पारित अधिनिर्णयों में यही मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक दिनांक 08.01.2007 द्वारा यह निर्देशित किया गया है "कि विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पत्ति में पुत्र/पुत्री दोनों को जन्म से ही अधिकार होता है। इसलिये पुत्र/पुत्री दोनों ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करा सकते हैं। पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ साथ पुत्र/पुत्री सहकृषक होते हैं चाहे राजस्व रेकर्ड में इसका अंकन नहीं भी हो, इसलिये

पुत्र/पुत्री दोनो अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही सहकृषक होने के नाते राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार जोत का विभाजन करा सकते हैं। यदि पैतृक भूमि के जोत विभाजन के सम्बन्ध में पिता या अन्य पुत्र/पुत्री सहमत नहीं हो तो ऐसी अवस्था में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश कर जोतों का विभाजन कराया जा सकता है।" चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण के वाद पत्र का इकवाली वयान कलमबद्ध करवाकर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण को सहखातेदार घोषित करने का लिखित कथन किया है। तथा शेष प्रतिवादीगण द्वारा बावजूद नोटिस तामील वादीगण के वादपत्र का किसी प्रकार से विरोध नहीं किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र सिंधासवा हरनियान के राजस्व ग्राम बातों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 413, 415, 416, 575, 576 रकबा कमशः 0.1862, 2.1691, 2.5657, 18.4536, 10.0443 हैक्टेयर एवं ग्राम सालू की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 458 रकबा 3.8121 हैक्टेयर की भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर राजस्व रेकर्ड में सुधार की पृविष्टि की जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक...16/9/22...को खुले न्यायालय मजमेआम सुनाया गया।


(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर, (S.D.O.) गुड़ामालानी